

कार्यालय कलेक्टर बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

:: संशोधित अनापत्ति प्रमाण-पत्र ::

बलरामपुर दिनांक 12/11/2016

क्रमांक/8004/वाचक/कले0/2016 :- कार्यपालन अभियंता अउदा निर्माण संभाग छरा. विपारेकंमर्या कोरबा द्वारा लिलो ऑफ 132 के.व्ही. विश्रामपुर प्रतापपुर-बलरामपुर लाईन के.लो. नं. 42/0 से टेपिंग कर प्रस्तावित 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र राजपुर लाईन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि व्यपवर्तन पंजीयन एवं प्रसंस्करण किये जाने हेतु उपरोक्त प्रस्तावित विद्युत लाईन विछाये जाने से जिला बलरामपुर के तहसील राजपुर में स्थित मुरका सिंगचौरा नवकी चिलमाकलां राजपुर चटकपुर में स्थित अनुसूची -1 में अंकित . प्रभावित राजस्व वन भूमि को गैर वानिकी उपयोग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है।

:: संशोधित अनुसूची-1 ::

क्र मा क	ग्राम का नाम	तहसील	खसरा नं0	कुल रकबा हे0 में	क्रमांक-5 में अंकित रकबा मेंसे उपयोग हेतु मांग की गयी भूमि का रकबा हे0 में	भूमि का किस्म
1	2	3	4	5	6	7
1	मुरका	राजपुर	965/2	0.774	0.438	राजस्व वनभूमि
			982/76	0.263	0.064	राजस्व वनभूमि
2	सिंगचौरा	राजपुर	6	0.240	0.023	राजस्व वनभूमि
			15	1.100	0.031	राजस्व वनभूमि
			111/1	18.147	0.471	राजस्व वनभूमि
			312/1	0.460	0.162	राजस्व वनभूमि
			671/1	6.657	1.321	राजस्व वनभूमि
			673/1	4.059	0.860	राजस्व वनभूमि
			115/1	15.066	0.467	राजस्व वनभूमि
3	नवकी	राजपुर	24	0.15 0	0.024	राजस्व वनभूमि
			530	0.648	0.191	राजस्व वनभूमि
			521	0.032	0.013	राजस्व वनभूमि
			527	1.991	0.346	राजस्व वनभूमि
			128	2.509	0.582	राजस्व वनभूमि

रामानुजगंज

4	चितमाकला	राजपुर	29	6.110	1.104	राजस्व वनभूमि
5	राजपुर	राजपुर	667/1	2.303	0.382	राजस्व वनभूमि
			692/1	0.688	0.204	राजस्व वनभूमि
6	चटकपुर	राजपुर	1/20	0.304	0.030	राजस्व वनभूमि
			256/1	9.882	0.248	राजस्व वनभूमि
कुल योग			19	71.383	6.961	

उपरोक्त भूमि का तहसीलदार राजपुर से स्थल जाँच कराकर प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। तहसीलदार राजपुर के द्वारा अपने कार्यालयीन पत्र क्रमांक 10/वा./तह./2016 राजपुर दिनांक 12.11.2016 के माध्यम से प्रतिवेदन किया गया है कि उपरोक्त प्रस्तावित भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित किये जाने से कोई आपत्ति नहीं है।

अतः अनुसूची-1 में अंकित कॉलम नम्बर 4 के खसरा एवं कॉलम नम्बर -5 में अंकित रकबा में से कॉलम नम्बर 6 में अंकित रकबा 71.383 हे० में से कुल रकबा 6.961 हे० भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग करने हेतु व्यपवर्तन की अनुमति यदि किसी सक्षम विभाग द्वारा दिया जाता है तो राजस्व विभागी को कोई आपत्ति नहीं है।


कलेक्टर

बलरामपुर-रामानुजगंज
(छत्तीसगढ़)

बलरामपुर दिनांक 12/11/2016

पृ०क्र०/8065/वाचक/कले०/2016

प्रतिलिपि:-

- कार्यपालन अभियंता, अउदा, निर्माण संभाग छराविपारेकर्मर्या. कोरबा को सूचनार्थ।


कलेक्टर

बलरामपुर-रामानुजगंज
(छत्तीसगढ़)